

प्रेषक,

संजय कृष्ण

संयुक्त सचिव / सी0ई0ओ0,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

(जनपद—गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं कांशीरामनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1 लखनऊ: दिनांक: १९ अक्टूबर, 2011
विषय: समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) योजना के अभिलेखों के
सी0एण्ड ए0जी0 से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से वार्षिक लेखा परीक्षण
कराये जाने की फीस का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या —754
/ 54-1-11-8(5) / 2011 दिनांक 10 अगस्त, 2011 एवं पत्र संख्या— 1001
/ 54-1-11-8(5) / 2011 दिनांक 29 सितम्बर, 2011 का अवलोकन करना चाहें
जिसके द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत परियोजनाओं का सी0एण्ड ए0जी0 से
अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षण कराये जाने के निर्देश जारी किये
गये हैं। क्षेत्रिक जनपदों एवं चाटेड एकाउन्टेन्ट फर्मों द्वारा आडिट फीस निर्धारण
के संबंध में शासन को पत्र संदर्भित किये गये हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं का सीएजी से अनुमोदित चाटेड एकाउन्टेन्ट की सूची
से नामित चाटेड एकाउन्टेन्ट से वार्षिक आडिट कराने की फीस का निम्नवत
निर्धारण किया गया है :—

- 1— डब्ल्यू० सी० का आडिट कराने हेतु रु० 750.00 प्रति डब्ल्यू०सी०।
- 2— पी०आई०ए० का आडिट कराने हेतु रु० 3000.00 प्रति परियोजना।
- 3— डब्ल्यू० सी० डी० सी० का आडिट कराने हेतु रु० 2000.00 प्रति
डब्ल्यू०सी०डी०सी०।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईडब्ल्यूएमपी
परियोजनाओं का आडिट कराकर उपरोक्तानुसार आडिट फीस का भुगतान करना
सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(
(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव / सी0ई0ओ0,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।

- प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1 मेसर्स धवन एण्ड मदन, प्रथम तल हिमांशु सदन, 5पार्क रोड, लखनऊ
 - 2 मे०गुप्ता एण्ड साह, 120 / 564 शिवाजीनगर, कानपुर
 - 3 जायसवाल बृजेश एण्ड कम्पनी सिद्धार्थ काम्प्लेक्स सिंगरा महमूरगंज वाराणसी
 - 4 एस०एन० कपूर एण्ड एसोसिएट-311 विनय पैलेस 11 अशोक मार्ग, लखनऊ
 - 5 पी०एस० भार्गव एण्ड कम्पनी, 8 ब्लन्ट स्क्वायर (दुर्गापूरी) लखनऊ
 - 6 मे०डी०पाठक एण्ड कम्पनी, 23 / 4क, गोखलेमार्ग, लखनऊ
 - 7 मे०के०डी०शुक्ला एण्ड कम्पनी, 111ए / 185पत्रकार भवन, अशोक नगर, कानपुर
 - 8 मे०अनूप अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 14साकेत नगर, लच्छीपुर, गोरखनाथ, गोरखपुर
 - 9 मे०सिंह अग्रवाल एण्ड एसोसियेट, अक्षर प्रथम तल कारपोरेशन बैक विल्डिंग, 30अशोक मार्ग, लखनऊ
 - 10 मे०पाण्डेय एण्ड कम्पनी, 24 / 24कराची खाना, कानपुर
 - 11 मे०आर०एम०लाल एण्ड कम्पनी, 4 / 10 विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
 - 12 मे०संदीप प्रकाश एण्ड कम्पनी, 213मुरलीभवन, 10ए, अशोक मार्ग, लखनऊ
 - 13 मे०भार्गव एण्ड कम्पनी, 16 जांहगीराबाद, मेन्सन, हजरतगंज, लखनऊ
 - 14 मे०अरसान एण्ड कम्पनी, 110 प्रथम तल अंशल सिटी सेन्टर, तुलसी सिनेमा के पीछे हजरतगंज, लखनऊ
 - 15 मे०हबीबुल्लाह एण्ड कम्पनी, एच०बी० हाउस, 10पार्क रोड, गोरखपुर
 - 16 मे०वी०जे०एसोसियेट, 5बी, एण्ड 6ए प्रथम तल, सीडी ब्लाक दिलीपपुर टावर, 6सप्रमार्ग, लखनऊ
 - 17 मे०गिरीश गुप्ता एण्ड एसोसियेट 3 / 56ए विशनुपुरी, कानपुर
 - 18 मे०एस०श्रीवास्तव एण्ड कम्पनी, 1 / 12 विवेकखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
 - 19 मे०अग्रवाल एण्ड सक्सेना, 511सिटी सेन्टर, मऊ रोड कानपुर
 - 20 मे०मित्तल एण्ड गुप्ता कम्पनी 302 चिन्टल हाउस, 16स्टेशन रोड लखनऊ
 - 21 शशि एण्ड कम्पनी 48एफ / 105 पुनीत वरीन्द्रावन, संजय पैलेस आगरा
 - 22 मे०एस०के०कपूर एण्ड कम्पनी, य०जी०-34, पालिका बाजार कपूरथला अलीगंज, लखनऊ
 - 23— डा० सविता आनन्द, संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, सीजीओ काम्प्लेक्स, 11वाँ ब्लाक, छठा तल, नई दिल्ली।
 - 24— विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 25— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 26— मुख्य विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं संबंधित जनपद।
 - 27— प्रशासक, शारदा सहायक / रामगंगा कमाण्ड, लखनऊ / कानपुर।
 - 28— समरत उपनिदेशक / भूमि संरक्षण अधिकारी को उनके प्रशासक के माध्यम से प्रेषित।
 - 29— प्रशासनिक अधिकारी, एस०एल०डी०सी० प्रभारी, 23-सी, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि विभागीय बेवसाइट पर लोड कराना सुनिश्चित करें।
 - 30— गार्ड फाइल।

(६३)

(संजय कृष्ण)
संयुक्त सचिव / सी०ई०ओ०,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।